रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1981/चैत्र 4, 1903
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1981/CHAITRA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981

का. आ. 214 (अ) :—मारुति लिमिटेड (उपक्रमो का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) की धारा 15 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री हेमन्त सिह, निदेशक, भारी उद्योग विभाग, उद्योग मत्रालय को भूतपान आयुक्त नियुक्त करती है ।

[फा स 13(50)/80-ए. ई आई (1)]
नरेश चन्द्र, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1981

S.O. 214(E). In exercise of the powers conferred by sub-section 1) of section 15 of the Maruti Limited Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (64 of 1980), the Central Government hereby appoints Shri Hemant Singh, Director Department of Heavy Industry, Ministry of Industry, as the Commissioner of Payments.

[F. No. 13(50)/80-AEI(I)]

NARESH CHANDRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981